बिहार सरकार

समाहरणालय, अरवल

ई-मेल–dm-arwal.bih@nic.in वेबसाइट - arwal.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 06337-228988

पत्रांक- दिनांक -

आदेश

COVID-19 के संक्रमण के फैलने से रोकने हेतु पूर्ण लॉक डाउन लागू है। लॉक डाउन का मूल उद्देश्य है कि लोग अपने घरों में रहे ताकि बाहरी लोगों से कम से कम सम्पर्क हो सकें। क्षेत्र भ्रमण के दौरान ऐसा पाया जा रहा है कि लॉक डाउन के अवधि में यद्यपि सवारी वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद है, परन्तु कुल लोग अपने निजी वाहन यथा मोटर साईकिल, स्कूटी, कार आदि से शहरों/गॉवों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट कर रहे हैं। **Lock Down** एवं **Social distancing** के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निजी वाहनों के मूवमेंट को भी नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।

तद्आलोक में **अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 266 दिनांक 13.04.2020** एवं **सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2184 दिनांक** 13.04.2020 से प्राप्त निदेश के आलोक में निम्नलिखित निदेश निर्गत किये जाते हैं :–

1. सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगें।
2. यदि निजी वाहन से कार्यालय, बैंक, अस्पताल एवं अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान एवं दुकान अथवा कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो, ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किया जायेगा। **(इस कार्य हेतु श्री अभिजीत कुमार गोविंदा, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल प्राधिकृत हैं।)**
3. पास में प्रस्थान स्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। पास के पीछे चेकिंग हेतु एक लॉग बुक प्रिंट करायी जाय जिसमें पुलिस द्वारा चेकिंग के समय तिथि एवं स्थान अंकित कर पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगें।
4. आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दो पहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड (**Double Ride**) अनुमान्य नहीं होगा (स्वास्थ्य कर्मियों को छोड़कर)।
5. पास प्राप्त कार (विधि–व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यो में लगे वाहनो को छोड़कर) पर ड्राईवर के अतिरिक्त अधिकतम दो व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी।
6. निजी वाहन (मोटरसाईकिल, कार आदि) से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी।
7. वाहन चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177, 179, 197, 202 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी एवं विशेष परिस्थिति में वाहन जब्त भी किया जा सकेगा।
8. वाहन चालक एवं अन्य सवारी **Sanitization** के साथ–साथ मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगें तथा **Social Distancing** का भी ध्यान रखेंगें।
9. सभी पेट्रोल पम्प संचालक को निदेशित किया जाता है कि अपने पम्प पर प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों से मास्क का उपयोग निश्चित रूप से करायें तथा पेट्रोल पम्प पर सेनेटाईजर का भी व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगें। साथ ही अपने कर्मियों को स्पष्ट निदेश देंगें कि बिना मास्क पहने सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति नहीं करेंगें।

10. अंतर जिला सीमा पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे कड़ाई से चेकिंग करेंगें ताकि वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित/नियंत्रित किया जा सकें।

11. **जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, अरवल/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी** को निदेशित किया जाता है कि वे सभी बाजारों, ग्रामीण एवं शहरी ईलाकों में माईकिंग कराकर इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करायेंगें।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक : 444 /गो0, अरवल दिनांक 14 वीं अप्रैल, 2020।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, अरवल एवं उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचनार्थ एवं आवाश्कय कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल एवं जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं अरवल जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष/ओ0 पी0 अध्यक्ष अरवल जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अन्य सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/4/2020

जिला पदाधिकारी,
अरवल।

D:\Office\2020\Corona Virus\Order 026.doc